अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2020 (RCMS 2020/00002) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ नं. 46F/986470) बनाम अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

10.02.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 17(सत्रह) बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, प्रार्थी को हजार्ना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2019 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 16.08.2019 आपके कार्यालय मे पंहुचने की तारीख व आई/आर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से दिनांक 30.10.19 तक जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार द्वारा की गई है उसकी सूचना व कार्यवाही की सूचना।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांकित पर की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5. जांच रिपोर्ट दिनांकित 17.06.19 पत्रांक जाचं/19/703 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम जाचं रिपोर्ट प्राप्ति से दिनांक 30.10.19 तक।
6. जाचं रिपोर्ट दिनांकित 17.06.19 में यह तथ्य अकिंत है कि श्री महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेंडर ने यह स्वीकार किया है कि उसने स्टाम्प श्रीमती गंगादेवी पत्नि स्व. भगवानदास के नाम से जारी किया है एवं सुभाष गोयल से खरीद किया है अतः महेन्द्र छाबडा ने राजस्थान स्टाम्प नियम 1955 के नियम 35 का सरासर उल्लघंन किया है इस उल्लघंन पर आप द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
7. आपके कार्यालय में इस बिन्दु नियम 35 पर कार्यवाही करने की वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
8. नियम 35 पर कार्यवाही न करने की अधिनियम व नियम की धारा की सूचना व प्रमाणित प्रति जिस अधिनियम के अन्तर्गत नही की है।
9. जाचं रिपोर्ट दिनांकित 17.06.2019 में राजस्थान स्टाम्प नियम 1955 की धारा 36 के अन्तर्गत बिक्री किये गये स्टाम्प रजिस्टर की प्रति पेश नही की है अतः उसे दोषी माना है। इस बिन्दु पर विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
10. दोषी नियम 36 में हाने के उपरान्त श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेन्डर के विरूद्ध कार्यवाही जिस अधिनियम व स्टाम्प नियम 1955 की धारा में नही की गयी है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11. राजस्थान स्टाम्प नियम 37 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेन्डर द्वारा श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्व. श्री भगवान दास को विक्रीत किये गये स्टाम्प की प्रविष्टि का रजिस्टर जिस दिवस कोष कार्यालय में जमा करवाया है उस दिवस की प्रमाणित प्रति जाचं अधिकारी को उपलब्ध नही करवायी है अतः दोषी माना जाने पर विभाग द्वारा स्टाम्प वेन्डर के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
12. कार्यवाही न करने के नियम व अधिनियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
13. उस अधिकारी व कर्मकार का नाम व पद की सूचना जिसके द्वारा कार्यवाही नही की गयी है।
14. जाचं रिपोर्ट के अनुसार नियम 38 के अन्तर्गत स्टाम्प वेन्डर द्वारा दिन प्रति दिन स्टॉम्प बिक्री का अकंन व फार्म की प्रमाणित प्रति पेश न ही करने पर दोषी माना जाने पर स्टाम्प बेन्डर के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
15. कार्यवाही नियम 38 में दोषी होने के उपरान्त नही की है। तो उस स्टाम्प अधिनियम की सूचना व धारा की सूचना।
16. जाचं रिपोर्ट के अनुसार स्टाम्प वेन्डर श्री महेन्द्र छाबडा ने दिनांक 08.04.2000 को रू 30/— का स्टाम्प श्रीमती गंगा देवी का नाम जारी सुभाष गोयल को देकर नियम 49 का उल्लधंन किया है इस उल्लधंन पर विभाग द्वारा की गंयी कार्यवाही की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
17. कार्यवाही नियम 49 के अन्तर्गत न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 802—804 दिनांक 03.12.2019 से अपीलार्थी की सूचनओं का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाया गया है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर है और उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्रांक 802—804 दिनांक 03.12.2019 से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उन्हें स्थानान्तरित किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष चाराजोही कर सकता है और लोक सूचना अधिकारी के आदेश से अप्रसन्नता की दशा में नियमानुसार अपील करने के लिए स्वतन्त्र है। यहां से अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर